

# राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccg@gmail.com

**विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 11/12/2023 को संपन्न 500वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  2. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  3. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  4. श्री डी. राहुल वेंकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

**एजेण्डा आयटम क्रमांक-1:** 497वीं, 498वीं एवं 499वीं बैठक क्रमशः दिनांक 28/11/2023, 29/11/2023 एवं 30/11/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 497वीं, 498वीं एवं 499वीं बैठक क्रमशः दिनांक 28/11/2023, 29/11/2023 एवं 30/11/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

**एजेण्डा आयटम क्रमांक-2:** गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स श्री शिव शंकर मिनरल्स (हरदी डोलोमाईट माईन, प्रो.- श्रीमती शोभा अग्रवाल), ग्राम-हरदी, तहसील-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2675)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022.

In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 445501 एवं 23/09/2023	
खदान का प्रकार	डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3.966 हेक्टेयर एवं 94,501 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	पार्ट ऑफ 76/1 एवं 41	
भू-स्वामित्व	शासकीय भूमि	
बैठक का विवरण	500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री गौरव अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार - डोलोमाईट (गौण खनिज) खसरा क्रमांक - 76/1 एवं 41 क्षेत्रफल - 3.966 हेक्टेयर क्षमता - 94,501 टन प्रतिवर्ष दिनांक - 30/12/2016	डी.ई.आई.ए.ए., जिला-बिलासपुर
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित - हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण - 400 नग
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी	दिनांक 22/06/2023 2017-18 में 2,850 टन 2018-19 में 53,730 टन 2019-20 में 29,545 टन 2020-21 में 35,270 टन 2021-22 में 40,440 टन 2022-23 में 70,880 टन	अप्रैल 2023 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत हरदी दिनांक 20/11/2014	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 04/11/2016	
500 मीटर	दिनांक 10/08/2023	कुल 11 खदानें, क्षेत्रफल 164.687 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 10/08/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
लीज डीड	वर्तमान लीज धारक - मेसर्स श्री शिवशंकर मिनरल्स, प्रो.- श्रीमती शोभा	पूर्व लीज धारक - मेसर्स श्री शिवशंकर मिनरल्स प्रो.-श्री गोवर्धन

	अग्रवाल अवधि - दिनांक 17/11/1995 से 16/11/2045 तक।	अग्रवाल मृत्यु पश्चात् लीज डीड हस्तांतरण- दिनांक 24/09/2018
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित खदान से लगी हुई अन्य खदान (ग्राम-हिरी, खसरा क्रमांक 62/1, क्षेत्रफल 1.78 हेक्टेयर) हेतु जारी एन.ओ. सी. को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध। वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर द्वारा जारी दिनांक 08/02/2023 वन क्षेत्र से आकाशीय दूरी - 15.9 कि.मी.	प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल एवं टोपोशीट में अवलोकन करने पर आवेदित खदान (क्षेत्रफल 3.036 हेक्टेयर) की अचानकमार जीव अभ्यारण्य की आकाशीय दूरी - 38 कि.मी. है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम - हरदी 370 मीटर स्कूल ग्राम - हरदी 850 मीटर अस्पताल - बिलासपुर 9.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 260 मीटर राज्यमार्ग - 29.55 कि.मी.	मनियारी नदी - 4.85 कि.मी. मौसमी नाला - 1.55 कि.मी. तालाब - 570 मीटर नहर - 1.4 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग - हॉ रिजर्व्स- जियोलॉजिकल 21,20,790 टन माईनेबल 9,71,237 टन वर्तमान में शेष रिजर्व्स- जियोलॉजिकल 18,88,075 टन माईनेबल 7,38,522 टन प्रस्तावित गहराई 31 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 12 वर्ष स्थापित क्रशर - नहीं वर्तमान में प्रस्तावित क्रशर - नहीं	वर्षवार उत्खनन प्रथम 29,700 टन द्वितीय 60,075 टन तृतीय 77,625 टन चतुर्थ 91,800 टन पंचम 94,500 टन षष्ठम 94,500 टन सप्तम 94,501 टन अष्टम 94,500 टन नवम 94,501 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 5,000 वर्गमीटर	उत्खनित - हॉ माईनिंग प्लान में उल्लेख-नहीं
ऊपरी मिट्टी/ ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई - 1 मीटर मात्रा - 7,200 घनमीटर	ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
जल आपूर्ति	मात्रा - 8 घनमीटर स्रोत - भू-जल	संबंधित विभाग/शाखा से एन.ओ.सी. - सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त है।

वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,383 नग किया जाना है।	वर्तमान वृक्षारोपण – 400 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 983 नग
श्रेणी	बी1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 168.653 हेक्टेयर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 18 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया।
- लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:—

“The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.”

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

- माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—
  - Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

- माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्चायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - ii. Project proponent shall submit the previous year production detail from April 2023 to till date from the mining department.
  - iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
  - iv. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
  - v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
  - vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
  - vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
  - viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
  - ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
  - x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
  - xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
  - xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

- xiii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall submit the revised approved quarry plan incorporating the mined out area in safety zone.
- xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री कमलेश पांडे), ग्राम-नंदनी-खुंदनी, तहसील-धमघा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2076)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 78200 एवं 11/06/2022 ई.सी. - 446805 एवं 04/10/2023	फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.26 हेक्टेयर एवं 1,50,150 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	395, 405/1, 405/2, 405/3, 406, 407, 408/1, 408/2, 408/3, 408/4, 409, 424/2 एवं 426/1	
बैठक का विवरण	500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 11/12/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स भगवती स्टोन (प्रो.- श्रीमती मिकी अग्रवाल, धनसुली लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-धनसुली, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1849)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 69850 एवं 07/12/2021 ई.सी. - 446882 एवं 05/10/2023	फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.71 हेक्टेयर एवं 40,836.6 टन (16,334.64 घनमीटर) प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	543/13, 544/3, 544/1, 545/1 एवं 545/2	
भू-स्वामित्व	निजी भूमि, प्रो.- श्रीमती मिकी अग्रवाल	आवेदक
बैठक का विवरण	500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री मनीष अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार - डॉ. देव नारायण, मेसर्स अल्ट्रा-टेक इन्डिया रोमेन्टल कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, थाने (पश्चिम) उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत धनसुली दिनांक 24/06/2021	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 11/10/2021	
500 मीटर	दिनांक 29/10/2021	कुल 47 खदानें, रकबा 72.87 हेक्टेयर है।
200 मीटर	दिनांक 29/10/2021	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक - मेसर्स भगवती स्टोन (प्रो.- श्रीमती मिकी अग्रवाल) दिनांक -26/08/2021	वैधता वृद्धि हेतु जारी पत्र - दिनांक 28/10/2022 वैधता अवधि - पर्यावरण स्वीकृति

	वैधता अवधि -1 वर्ष	प्राप्त करने एवं उत्खनिट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया गया है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर द्वारा जारी दिनांक 06/04/2022 वन क्षेत्र से आकाशीय दूरी - 250 मीटर से अधिक	10 कि.मी. की दूरी पर राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभयारण्य नहीं है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम - धनसुली 830 मीटर स्कूल ग्राम - धनसुली 1 कि.मी. अस्पताल तिल्दा 16.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 17.75 कि.मी. राज्यमार्ग - 1.1 कि.मी.	तालाब - 1.4 कि.मी नहर - 470 मीटर खारून नदी - 21.85 कि.मी. बांध - 850 मीटर मौसमी नाला - 1.3 कि.मी.
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग - हॉ रिजर्व्स - जियोलॉजिकल 8,12,250 टन माईनेबल 3,38,837 टन रिकवरेबल 3,32,060 टन प्रस्तावित गहराई 20 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष प्रस्तावित क्रशर - नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 40,670.00 टन द्वितीय 40,807.20 टन तृतीय 40,792.50 टन चतुर्थ 40,836.60 टन पंचम 40,829.25 टन षष्ठम 40,057.50 टन सप्तम 40,108.95 टन अष्टम 40,084.45 टन नवम 3,959.20 टन दशम 3,915.10 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 4,747 वर्गमीटर	उत्खनित - नहीं
ऊपरी मिट्टी/ ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी मोटाई - 0.25 मीटर मात्रा - 3,088.25 घनमीटर ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना - 1,664 घनमीटर - 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 1,424 घनमीटर - लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 543/13, रकबा 0.5356 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित।	ओवर बर्डन मोटाई - 0.75 मीटर मात्रा - 9,264.75 घनमीटर ओवर बर्डन प्रबंधन योजना - आवश्यकतानुसार ओवर बर्डन का उपयोग रैम्प निर्माण, पहुंच मार्ग के रख-रखाव आदि में किया जाएगा एवं शेष ओवर बर्डन को कॉन्सेप्युअल स्टेज में खदान के पुनःभराव हेतु लीज क्षेत्र के समीप स्वयं की भूमि (पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 543/13, रकबा 0.5356 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित।



		रखा जाएगा।
जल आपूर्ति	मात्रा – 6 घनमीटर प्रतिदिन स्रोत – भू-जल	संबंधित विभाग/शाखा से एन.ओ.सी. – सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 942 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 11,24,000 रुपये
जारी टी.ओ.आर.	क्रमांक 856, दिनांक 26/08/2022	1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित)
ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण	मॉनिटरिंग-दिसंबर 2021 से मार्च 2022 गुणवत्ता मापन स्थल: परिवेशीय वायु – 12 भू-जल – 05 सतही जल – 05 ध्वनि स्तर – 12 मिट्टी के नमूने – 12 PM <sub>2.5</sub> – 10 से 38 µg/m <sup>3</sup> PM <sub>10</sub> – 43 से 75 µg/m <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> – 05 से 11 µg/m <sup>3</sup> NO <sub>2</sub> – 09 से 18 µg/m <sup>3</sup> Noise level - dB (A) Day L <sub>eq</sub> – 50.2 से 58.4 Night L <sub>eq</sub> – 42.5 से 47.2	गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के भीतर है।
पी.सी.यू. की गणना	लोकल टार रोड हेतु – वर्तमान में 112 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.44 परियोजना उपरांत 134.66 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.53 राज्यमार्ग हेतु – वर्तमान में 255.25 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.21 परियोजना उपरांत 283.2 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.23	लोकल टार रोड हेतु – लोड कैरिंग क्षमता C (Good) श्रेणी का है।  राज्यमार्ग हेतु – लोड कैरिंग क्षमता B (Very Good) श्रेणी का है।
जी.एल.सी. की गणना	PM <sub>10</sub> का अधिकतम मान 99.43 µg/m <sup>3</sup> , PM <sub>2.5</sub> का अधिकतम मान 52.16 µg/m <sup>3</sup> , SO <sub>2</sub> का अधिकतम मान 19.19 µg/m <sup>3</sup> एवं NO <sub>2</sub> का अधिकतम मान 29.58 µg/m <sup>3</sup> है।	निर्धारित भारतीय मानक सीमा के भीतर है।
लोक सुनवाई	दिनांक 27/06/2023 समय – पूर्वान्ह 11:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम- धनसुली, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर	लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 14/08/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

<p>लोक सुनवाई</p>	<p>मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. वृक्षारोपण के लिए क्रशर मालिकों को प्रेरित किया जाए कि पेड़ लगाना जरूरी है।</li> <li>2. खदान में रोजगार के लिए स्थानीय लोगों को विशेष रूप से प्राथमिकता दिया जाए।</li> <li>3. खदान में ब्लास्टिंग से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कंट्रोलर लगाकर ब्लास्टिंग किया जाए।</li> </ol>	<p>निराकरण की दिशा में कथन निम्न है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. खदान की सीमा क्षेत्र में स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण तथा सुरक्षा के लिए कांटेदार बाड़ के साथ नियत अंतराल पर वृक्षारोपण किया जाएगा।</li> <li>2. छत्तीसगढ़ शासन की आदर्श पुनर्वास एवं रोजगार नीति के अनुसार, योग्यता तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय ग्रामीणों को परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा।</li> <li>3. डी.जी.एम.एस. से पंजीकृत ब्लास्टर से वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित विस्फोट किया जाएगा।</li> </ol>
<p>सी.ई.एम.पी.</p>	<p>क्लस्टर में कुल 48 खदानें प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि -70,79,000 रुपये</p>	<p>परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता: प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि-6,06,000 रुपये</p>
<p>परियोजना से संबंधित शपथ पत्र</p>	<p>परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी प्रबंधन, डी.जी.एम.एस. द्वारा कंट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई. आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं संबंधी आश्वासन, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, खनिज नियमों के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु क्लस्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।</p>	<p>परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये हैं:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी।</li> <li>2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।</li> <li>3. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।</li> <li>4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए</li> </ol>

		गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी-1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 74.58 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
49.69	2%	0.99	Following activities at Nearby, Village- Mura	
			Plantation around village pond	1.31
			<b>Total</b>	<b>1.31</b>

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 54 नग पौधों के लिए राशि 8,100 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 8,100 रुपये, खाद के लिए राशि 2,800 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 20,000 रुपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 4,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 43,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 88,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मुरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 281, क्षेत्रफल 1.98 हेक्टेयर में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स भगवती स्टोन (प्रो.- श्रीमती मिकी अग्रवाल, धनसुली लाईम स्टोन क्वारी) को ग्राम-धनसुली, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर के खसरा क्रमांक 543/13, 544/3, 544/1, 545/1 एवं 545/2 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.71 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता-40,836 टन (16,334 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

- मेसर्स बंसल स्टोन (प्रो.- श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, मूरा लाईम स्टोन माईन), ग्राम-मूरा, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1800)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 67321 एवं 06/09/2021 ई.सी. - 446776 एवं 05/10/2023	फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.67 हेक्टेयर एवं 46,496.1 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	397/2, 397/4, 397/17, 639/2, 639/7, 639/11, 639/13, 395/2 एवं 396/2	
भू-स्वामित्व	निजी भूमि, प्रो.- श्रीमती पुष्पा अग्रवाल	आवेदक
बैठक का विवरण	500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री अजय अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार – डॉ. देव नारायण, मेसर्स अल्ट्रा-टेक इन्व्हायरोमेन्टल कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, थाने (पश्चिम) उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत मूरा दिनांक 08/10/2020	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 18/08/2021	
500 मीटर	दिनांक 04/09/2021	कुल 47 खदानें, रकबा 72.9187 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 04/09/2021	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – मेसर्स बंसल स्टोन (प्रो.- श्रीमती पुष्पा अग्रवाल) दिनांक – 26/10/2020 वैधता अवधि – 1 वर्ष वैधता वृद्धि हेतु जारी पत्र – दिनांक 26/10/2021 वैधता अवधि- 1 वर्ष	वैधता वृद्धि हेतु जारी पत्र – दिनांक 31/10/2022 वैधता अवधि – पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया गया है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर द्वारा जारी दिनांक 06/05/2022 वन क्षेत्र से आकाशीय दूरी – 250 मीटर से अधिक	10 कि.मी. की दूरी पर राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभयारण्य नहीं है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम-मूरा 650 मीटर स्कूल ग्राम-मूरा 850 मीटर अस्पताल सारागांव 8 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग-18 कि.मी. राज्यमार्ग – 2.45 कि.मी.	नाला 680 मीटर तालाब 210 मीटर नहर 850 मीटर खारून नदी 22.6 कि.मी.
पारिस्थितिकीय /जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हॉ रिजर्व्स –	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 41,282.50 टन द्वितीय 43,433.60 टन तृतीय 45,437.70 टन

	जियोलॉजिकल 7,93,250 टन माईनेबल 3,28,232 टन रिकव्हेरेबल 3,21,667 टन प्रस्तावित गहराई 20 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष प्रस्तावित क्रशर - नहीं	चतुर्थ 44,467.50 टन पंचम 46,496.10 टन षष्ठम 44,430.75 टन सप्तम 42,321.30 टन अष्टम 5,145.00 टन नवम 4,410.00 टन दशम 4,243.40 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 5,186 वर्गमीटर	उत्खनित - नहीं है।
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी मोटाई - 0.25 मीटर मात्रा - 2,878.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना - 1,818 घनमीटर - 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 1,061 घनमीटर - लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 377/1 एवं 377/2, रकबा 0.384 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित।	ओवर बर्डन मोटाई - 0.75 मीटर मात्रा - 8,635.5 घनमीटर ओवर बर्डन प्रबंधन योजना - आवश्यकतानुसार ओवर बर्डन का उपयोग रैम्प निर्माण, पहुंच मार्ग के रख-रखाव आदि में किया जाएगा एवं शेष ओवर बर्डन को कॉन्सेप्टुअल स्टेज में खदान के पुनःभराव हेतु लीज क्षेत्र के समीप स्वयं की भूमि (पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 377/1 एवं 377/2, रकबा 0.384 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा।
जल आपूर्ति	मात्रा - 6 घनमीटर प्रतिदिन स्रोत - भू-जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण - 1,032 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि-11,99,000 रुपये
जारी टी.ओ.आर.	क्रमांक 1241, दिनांक 02/11/2022	1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित)
ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण	मॉनिटरिंग- 10 दिसंबर 2021 से 09 मार्च 2022 गुणवत्ता मापन स्थल: परिवेशीय वायु - 12 भू-जल - 05 सतही जल - 05 ध्वनि स्तर - 12 मिट्टी के नमूने - 12 PM <sub>2.5</sub> - 10 से 38 µg/m <sup>3</sup> PM <sub>10</sub> - 43 से 75 µg/m <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> - 05 से 11 µg/m <sup>3</sup> NO <sub>2</sub> - 09 से 18 µg/m <sup>3</sup> Noise level - dB (A) Day L <sub>eq</sub> - 50.2 से 58.4 Night L <sub>eq</sub> - 42.5 से 47.2	उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक सीमा के भीतर है।

<p>पी.सी.यू. की गणना</p>	<p>लोकल टार रोड हेतु – वर्तमान में 112 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.44 परियोजना उपरांत 134.66 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.53 राज्यमार्ग हेतु – वर्तमान में 255.25 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.21 परियोजना उपरांत 283.2 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.23</p>	<p>लोकल टार रोड हेतु – लोड कैरिंग क्षमता C (Good) श्रेणी का है।  राज्यमार्ग हेतु – लोड कैरिंग क्षमता B (Very Good) श्रेणी का है।</p>
<p>जी.एल.सी. की गणना</p>	<p>PM<sub>10</sub> का अधिकतम मान 99.43 µg/m<sup>3</sup>, PM<sub>2.5</sub> का अधिकतम मान 52.16 µg/m<sup>3</sup>, SO<sub>2</sub> का अधिकतम मान 19.19 µg/m<sup>3</sup> एवं NO<sub>2</sub> का अधिकतम मान 29.58 µg/m<sup>3</sup> है।</p>	<p>निर्धारित भारतीय मानक सीमा के भीतर है।</p>
<p>लोक सुनवाई</p>	<p>दिनांक 27/06/2023 समय – पूर्वान्ह 11:00 बजे स्थान –ग्राम पंचायत भवन, ग्राम-धनसुली तहसील- तिल्दा, जिला- रायपुर</p>	<p>लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 14/08/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।</p>
<p>लोक सुनवाई</p>	<p>मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. वृक्षारोपण के लिए क्रशर मालिकों को प्रेरित किया जाए कि पेड़ लगाना जरूरी है। 2. खदान में रोजगार के लिए स्थानीय लोगों को विशेष रूप से प्राथमिकता दिया जाए। 3. खदान में ब्लास्टिंग से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कंट्रोलर लगाकर ब्लास्टिंग किया जाए।</p>	<p>निराकरण की दिशा में कथन निम्न है:- 1. खदान की सीमा क्षेत्र में स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण तथा सुरक्षा के लिए कांटेदार बाड़ के साथ नियत अंतराल पर वृक्षारोपण किया जाएगा। 2. छत्तीसगढ़ शासन की आदर्श पुनर्वास एवं रोजगार नीति के अनुसार, योग्यता तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय ग्रामीणों को परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा। 3. डी.जी.एम.एस. से पंजीकृत ब्लास्टर से वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित विस्फोट किया जाएगा।</p>
<p>सी.ई.एम.पी.</p>	<p>क्लस्टर में कुल 48 खदानें प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि -70,79,000 रुपये</p>	<p>परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता: प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि-5,91,000 रुपये</p>
<p>परियोजना से संबंधित शपथ पत्र</p>	<p>परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी प्रबंधन, डी.जी.एम.एस. द्वारा कंट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, भूमि स्वामियों को</p>	<p>परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से</p>

	<p>निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई. आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं संबंधी आश्वासन, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, खनिज नियमों के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु क्लस्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।</p>	<p>संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी।</p> <p>2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।</p> <p>3. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।</p> <p>4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।</p> <p>5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India &amp; Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।</p>
श्रेणी	बी-1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 74.58 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
41.71	2%	0.83	Following activities at Nearby, Village- Mura	
			Plantation around village pond	1.12
			<b>Total</b>	<b>1.12</b>



2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 46 नग पौधों के लिए राशि 6,900 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 6,900 रुपये, खाद के लिए राशि 2,300 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 16,900 रुपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 3,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 36,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 76,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मूरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 281, क्षेत्रफल 1.98 हेक्टेयर में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—
  - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बंसल स्टोन (प्रो.- श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, मूरा लाईम स्टोन माईन) को ग्राम-मूरा, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर के खसरा क्रमांक 397/2, 397/4, 397/17, 639/2, 639/7, 639/11, 639/13, 395/2 एवं 396/2 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.67 हेक्टेयर, उत्खनन

क्षमता-46,496 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर-श्री मुकेश कुमार जैन, कण्डोरा आर्डिनरी स्टोन माईन), ग्राम-कण्डोरा, तहसील-कुनकुरी, जिला-जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2676)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. - 445337 एवं 23/09/2023	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.75 हेक्टेयर एवं 90,017 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	पार्ट ऑफ 544/1	
भू-स्वामित्व	शासकीय भूमि	
बैठक का विवरण	500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री सुशांत नायक, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार - साधारण पत्थर (गौण खनिज) खसरा क्रमांक - पार्ट ऑफ 544/1 क्षेत्रफल - 1.75 हेक्टेयर क्षमता - 90,356.31 टन प्रतिवर्ष दिनांक - 28/01/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला-जशपुर
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित - हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण - 350 नग।

		पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप वृक्षारोपण कर (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित ग्राम पंचायत से प्राप्त कर प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी	दिनांक 14/07/2023 2017 में 20,540 टन 2018 में 26,320 टन 2019 में 18,200 टन 2020 में 25,400 टन 2021 में 15,523 टन 2022 में 2,000 टन 2023 (मार्च तक) में 30,000 टन	अप्रैल 2023 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत कण्डोरा दिनांक 17/08/2002	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 23/12/2022	
500 मीटर	दिनांक 14/07/2023 अवस्थित खदानें-2, क्षेत्रफल - 3 हेक्टेयर	प्रस्तुतीकरण के दौरान लीज क्षेत्र को के.एम.एल. से अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदित क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में 2 खदानों के अतिरिक्त अन्य खदानें प्रदर्शित हो रही है। समिति का मत है कि सभी खदानों के संचालन स्थिति से अवगत कराते हुए 500 मीटर का अद्यतन स्थिति में प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
200 मीटर	दिनांक 14/07/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
लीज डीड	वर्तमान लीज धारक - मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर, पार्टनर- श्री मुकेश कुमार जैन अवधि - दिनांक 05/09/2002 से 04/09/2032 तक।	पूर्व लीज धारक - मेसर्स श्री विनोद कुमार जैन लीज डीड हस्तांतरण- दिनांक 20/08/2014
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित खदान से लगी हुई अन्य खदान (ग्राम-कण्डोरा, खसरा क्रमांक 544/1, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर) हेतु जारी एन.ओ.सी. को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध। वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जशपुर द्वारा जारी दिनांक 26/08/2002 आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र सीमा से बाहर है।	प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल एवं टोपोशीट में अवलोकन करने पर आवेदित खदान (क्षेत्रफल 1.75 हेक्टेयर) की वन क्षेत्र की दूरी - 2 कि.मी., बादलखोल वन्य जीव अभयारण्य की आकाशीय दूरी - 15 कि.मी. 10 कि.मी. की दूरी पर राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभयारण्य नहीं

		है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – कण्डोरा 600 मीटर स्कूल ग्राम – कण्डोरा 750 मीटर अस्पताल – कुनकुरी 5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 650 मीटर राज्यमार्ग – 19.9 कि.मी.	सिरी नदी – 4 कि.मी. ईब नदी – 9.8 कि.मी. तालाब – 1.1 कि.मी. नहर – 3.2 कि.मी. मौसमी नाला – 1.25 कि.मी.
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ क्वारी प्लान अनुसार रिजर्व्स – जियोलॉजिकल 17,87,209 टन माईनेबल 6,45,111 टन रिकव्हेरेबल 6,32,209 टन वर्तमान में शेष रिजर्व्स – जियोलॉजिकल 17,01,492 टन माईनेबल 5,59,397 टन रिकव्हेरेबल 5,48,209 टन प्रस्तावित गहराई 45 मीटर (15 मीटर हिललॉक, 30 मीटर गहराई) बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 8 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार उत्खनन प्रथम 90,017 टन द्वितीय 89,992 टन तृतीय 90,009 टन चतुर्थ 89,877 टन पंचम 90,000 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 3,780 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी / ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ऊपरी मिट्टी / ओवर बर्डन अवस्थित नहीं है।	
जल आपूर्ति	मात्रा – 9 घनमीटर स्रोत – भू-जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 750 नग किया जाना है। वर्तमान वृक्षारोपण – 350 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 400 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि –12,08,000 रुपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:- 1. हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित

	<p>उपाय, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, खनिज नियमों के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु आदि बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।</p>	<p>भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी।</p> <p>2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।</p> <p>3. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।</p> <p>4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।</p> <p>5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India &amp; Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।</p> <p>6. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन किया जायेगा।</p>
श्रेणी	बी2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 4.75 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

19.25	2%	0.38	Following activities at Nearby, Village- Belghutri	
			Plantation around village pond	0.50
			<b>Total</b>	<b>0.50</b>

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 30 नग पौधों के लिए राशि 3,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,500 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 7,000 रुपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 2,500 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 32,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा (खसरा क्रमांक 64, क्षेत्रफल 1.18 हेक्टेयर में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि उक्त प्रस्ताव हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप वृक्षारोपण कर (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित ग्राम पंचायत से प्राप्त कर प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. अप्रैल 2023 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र को के.एम.एल. से अवलोकन करने पर आवेदित क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में 2 खदानों के अतिरिक्त अन्य खदानें प्रदर्शित हो रही हैं। अतः सभी खदानों के संचालन स्थिति से अवगत कराते हुए 500 मीटर का अद्यतन स्थिति में प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. खदान क्षेत्र के चारों ओर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. प्रस्ताव हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए। उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी। परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।
6. मेसर्स एच. एस. इंटरप्राइजेस (प्रो.- श्री नीरज शर्मा, चोरमट्टी लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-चोरमट्टी, तहसील-पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2678)  
भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through

SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. - 446278 एवं 29/09/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित (क्षमता विस्तार)
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3.46 हेक्टेयर एवं 2,50,000 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	पार्ट ऑफ 2010/1	
बैठक का विवरण	500वीं बैठक दिनांक 11 /12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि	श्री नीरज शर्मा, प्रोपराईटर	परियोजना प्रस्तावक उपस्थित हुये।
भू-स्वामित्व	शासकीय भूमि	
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार - चूना पत्थर (गौण खनिज) खसरा क्रमांक - पार्ट ऑफ 2010/1 क्षेत्रफल - 3.46 हेक्टेयर क्षमता - माईनिंग प्लान अनुसार उत्खनन करना होगा किंतु प्रथम वर्ष में 50,285.8 टन से अधिक नहीं होगा। दिनांक - 15/03/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला-जांजगीर-चांपा
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित - हाँ क्षमता विस्तार के तहत - एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर - अप्राप्त	निर्धारित शर्तानुसार 350 नग वृक्षारोपण किया गया है। चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी	दिनांक 11/09/2023 2018-19 में 50,100 टन 2019-20 में 50,050 टन 2020-21 में 50,220 टन 2021-22 में 47,200 टन 2022-23 में 50,224 टन	अप्रैल 2023 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत चोरभट्टी दिनांक 03/12/2005	क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 25/05/2023	
500 मीटर	दिनांक 11/09/2023	अवस्थित खदानों की संख्या - निरंक
200 मीटर	दिनांक 11/09/2023	बरसाती नाला - 60 मीटर
लीज डीड	लीज धारक - मेसर्स एच. एस. इंटरप्राइजेस, प्रो.- श्री नीरज शर्मा अवधि - दिनांक 02/05/2006 से 01/05/2036 तक।	पूर्व लीज धारक - श्री शरद कश्यप लीज डीड हस्तांतरण- दिनांक 24/08/2018 को श्री मोहन लाल अग्रवाल पुनः लीज डीड हस्तांतरण- दिनांक 07/07/2020
वन विभाग एन.ओ.सी.	दिनांक 28/02/2006	वन क्षेत्र से दूरी - 1 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम - चोरभट्टी 1.4 कि.मी. स्कूल - ग्राम - चोरभट्टी 1.4 कि.मी. अस्पताल - अकलतरा 7.9 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 3.25 कि.मी. राज्यमार्ग - 25.10 कि.मी.	नाला - 60 मीटर तालाब - 1 कि.मी. रेल पुल - 130 मीटर
पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग - हॉ रिजर्व्स - जियोलॉजिकल 31,81,480 टन माईनेबल 18,40,130 टन प्रस्तावित गहराई 40 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 7.3 वर्ष	वर्षवार उत्खनन प्रथम 2,50,000 टन द्वितीय 2,50,000 टन तृतीय 2,50,000 टन चतुर्थ 2,50,000 टन पंचम 2,50,000 टन



	क्रशर क्षेत्रफल 2,417 वर्गमीटर	
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 5,302.5 वर्गमीटर	उत्खनित - हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख - नहीं
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल - 2,417 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण - क्रशर	माईनिंग प्लान में उल्लेख- हाँ
ऊपरी मिट्टी/ ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है।	
जल आपूर्ति	मात्रा - 6 घनमीटर स्रोत - भू-जल संबंधित विभाग/शाखा से एन.ओ.सी. - सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त।	
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण - 841 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि-10,85,000 रुपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, खनिज नियमों के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 3. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors.

		में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। 6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि हमारे द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये निर्देश का बिन्दुवार पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी2	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 3.46 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल को गूगल के माध्यम से अवलोकन किये जाने पर एवं सरफेस जियोलॉजिकल प्लान में प्रस्तावित लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में स्थापित क्रशर का कुछ भाग प्रदर्शित हो रहा है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में आने वाले क्रशर के भाग को हटाये जाने के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

4. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

54.12	2%	1.08	Following activities at Nearby, Village- Chorbhatti	
			Plantation around village pond	1.10
			<b>Total</b>	<b>1.10</b>

5. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 70 नग पौधों जिसमें से 20 नग पौधों वृक्ष पूर्व से तालाब के चारों ओर अवस्थित है। शेष 50 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 8,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 15,900 रुपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 5,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 36,400 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 73,600 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत चोरभट्टी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1150, क्षेत्रफल 0.571 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 1151, क्षेत्रफल 0.963 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा के.एम.एल. फाईल को गूगल के माध्यम से अवलोकन किये जाने पर तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण होना प्रदर्शित हो रहा है। अतः समिति का मत है कि सी.ई.आर. का उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. अप्रैल 2023 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में आने वाले क्रशर के भाग को हटाये जाने के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. का उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

7. मेसर्स गोयल कन्सल्टिंग कंपनी (अकोलडीह खपरी लाईम स्टोन माईन, पार्टनर- श्री राम अवतार अग्रवाल), ग्राम-अकोलडीह खपरी, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2679)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 436953 एवं 30/09/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4 हेक्टेयर एवं 69,997.78 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 650/5	
बैठक का विवरण	500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री शिवकुमार अग्रवाल, पार्टनर उपस्थित हुये। पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है।
मू-स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 650/1 श्री रामावतार योगेश अग्रवाल (एच.यू.एफ.) खसरा क्रमांक 650/2 श्री निरंजन लाल - प्रकाश लाल (एच.यू.एफ.) कर्ता प्रकाश	सहमति पत्र प्राप्त

	लाल अग्रवाल खसरा क्रमांक 650/3 श्री निरंजन लाल, शिवकुमार अग्रवाल (एच.यू.एफ.) कर्ता शिवकुमार खसरा क्रमांक 650/4 श्री निरंजन लाल, नरसिंग लाल अग्रवाल खसरा क्रमांक 650/5 श्री नरसिंग अग्रवाल	
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार - चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक - 650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 650/5 क्षेत्रफल - 4 हेक्टेयर क्षमता - 70,000 टन दिनांक - 26/02/2018 वैधता अवधि - 5 वर्ष	डी.ई.आई.ए.ए., जिला-रायपुर भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार Corona Virus(COVID-19) के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 25/02/2024 तक वैध है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित - हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण - 550 नग
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी	अप्राप्त	समिति का मत है कि विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत धनसुली दिनांक 23/02/2018	उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 15/02/2023	
500 मीटर	दिनांक 18/10/2023	कुल 87 खदानें, क्षेत्रफल - 173.56 हेक्टेयर है।
200 मीटर	दिनांक 18/10/2023	200 मीटर के भीतर पश्चिम दिशा में नाला है।
लीज डीड	लीज धारक - श्री राम अवतार अग्रवाल अवधि-27/03/2018 से 26/03/2048	
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित खदान से लगी हुई अन्य खदान (ग्राम-अकोलडीह खपरी, खसरा क्रमांक 671, 672 एवं 673, क्षेत्रफल 3.19 हेक्टेयर) हेतु जारी एन.ओ.सी. को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध। कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर द्वारा जारी दिनांक 13/12/2022	मोहरेंगा नेचर सफारी - 18 कि.मी. बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य - 66 कि.मी. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान - 282 कि.मी. प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल एवं टोपोशीट में अवलोकन करने पर आवेदित खदान (क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर) की बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य की आकाशीय दूरी - 43 कि.मी.

*Bl*

		10 कि.मी. की दूरी पर राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभयारण्य नहीं है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम-अकोलडीह खपरी 1 कि.मी. स्कूल ग्राम - बहनाकाड़ी 1.8 कि.मी. अस्पताल - रायपुर 4.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 6.65 कि.मी. राज्यमार्ग - 4.6 कि.मी.	खारून नदी - 19.3 कि.मी. नाला - 60 मीटर तालाब - 1.3 कि.मी. नहर - 2 कि.मी. रोड ब्रिज - 1.2 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग - हॉ रिजर्व्स - जियोलॉजिकल 26,57,812 टन माईनेबल 13,69,526 टन रिकव्हेरेबल 13,01,049 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 19 वर्ष प्रस्तावित क्रशर - नहीं	वर्षवार उत्खनन 2023-24 में 69,997.78 टन 2024-25 में 69,976.41 टन 2025-26 में 69,967.50 टन 2026-27 में 69,931.88 टन 2027-28 में 69,981.75 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 7,606 वर्गमीटर	उत्खनित - नहीं
ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी की मोटाई - 0.25 मीटर मात्रा - 6,223.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना - 2,667 घनमीटर - 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 3,556.5 घनमीटर - लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 650/1, क्षेत्रफल 1.06 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित।	ओव्हर बर्डन की मोटाई - 0.5 मीटर मात्रा - 12,474 घनमीटर ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना - आवश्यकतानुसार ओव्हर बर्डन का उपयोग रैम्प निर्माण, पहुंच मार्ग के रख-रखाव आदि में किया जाएगा एवं शेष ओव्हर बर्डन को लीज क्षेत्र के समीप स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 650/1, क्षेत्रफल 1.06 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखा जाएगा।
जल आपूर्ति	मात्रा - 8 घनमीटर स्रोत - भू-जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण - 1,515 नग किया जाना है।	वर्तमान वृक्षारोपण - 550 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण - 965 नग
श्रेणी	बी1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 177.56 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त क्लस्टर में स्थित अन्य खदान मेसर्स महामाया मिनरल्स, रकबा 3.88 हेक्टेयर, ग्राम-धनसुली, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर द्वारा पूर्व में बेसलाइन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 दिसंबर 2021 से 15 मार्च 2022 के मध्य किया जा चुका है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाइन डाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 के अनुसार "The baseline data and Public Hearing shall not be more than three years old at the time of submission of application for consideration of EC." का उल्लेख है। उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम अनुसार एकत्रित बेसलाइन डाटा की वैधता 3 वर्ष हेतु होगी।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि लीज क्षेत्र के उत्खनन हेतु उपलब्ध क्षेत्र में 7,500 वर्गमीटर क्षेत्र 15 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है।
3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
  - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
  - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - ii. Project proponent shall submit the previous year production detail till date from the mining department.
  - iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
  - iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

- v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।



8. मेसर्स गोयल कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर- श्री शिव कुमार अग्रवाल, अकोलडीह खपरी एण्ड बहनाकाड़ी लाईम स्टोन माईन), ग्राम-अकोलडीह खपरी एवं बहनाकाड़ी, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2680)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 436872 एवं 30/09/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.4 हेक्टेयर एवं 79,978.13 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	652, 653, 4/1, 4/2, 3 एवं 655	
बैठक का विवरण	500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री शिव कुमार अग्रवाल, पार्टनर उपस्थित हुये। पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है।
भू-स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 652, 653 व 655 श्री रामअवतार अग्रवाल, पार्टनर गोयल कंस्ट्रक्शन कंपनी खसरा क्रमांक 4/1 श्री शिवकुमार अग्रवाल खसरा क्रमांक 4/2 व 3 श्रीमती मीना अग्रवाल	सहमति पत्र प्राप्त
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार - चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक - 652, 653, 4/1, 4/2, 3 एवं 655 क्षेत्रफल - 4.4 हेक्टेयर क्षमता - 80,000 टन प्रतिवर्ष दिनांक - 26/02/2018	डी.ई.आई.ए.ए., जिला- रायपुर भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार Corona Virus(COVID-19) के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी

	वैधता अवधि - 5 वर्ष	दिनांक से दिनांक 25/02/2024 तक वैध है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित - हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण - 550 नग
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी	अप्राप्त	समिति का मत है कि विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बहनाकाड़ी दिनांक 17/01/2018 व 28/02/2018	उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 15/02/2023	
500 मीटर	दिनांक 18/10/2023	कुल 87 खदानें, क्षेत्रफल - 173.16 हेक्टेयर है।
200 मीटर	दिनांक 18/10/2023	200 मीटर के भीतर पश्चिम, पूर्व एवं उत्तर दिशा में नाला है तथा दक्षिण दिशा में कच्चा रास्ता है।
लीज डीड	लीज धारक - श्री शिवकुमार अग्रवाल अवधि-27/03/2018 से 26/03/2048	
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित खदान से लगी हुई अन्य खदान (ग्राम-अकोलडीह खपरी, खसरा क्रमांक 671, 672 एवं 673, क्षेत्रफल 3.19 हेक्टेयर) हेतु जारी एन.ओ.सी. को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध। कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर द्वारा जारी दिनांक 13/12/2022	मोहरेंगा नेचर सफारी - 18 कि.मी. बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य - 66 कि.मी. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान - 282 कि.मी. प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल एवं टोपोशीट में अवलोकन करने पर आवेदित खदान (क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर) की बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य की आकाशीय दूरी - 43 कि.मी. 10 कि.मी. की दूरी पर राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम-बहनाकाड़ी 1.3 कि.मी., अकोलडीह खपरी 1.2 कि.मी. स्कूल - बहनाकाड़ी 1.5 कि.मी. अस्पताल - रायपुर 4.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 6.25 कि.मी. राज्यमार्ग - 4.6 कि.मी.	तालाब - 1.3 कि.मी. नहर - 2.1 कि.मी. खारुन नदी - 19.3 कि.मी. नाला-1.35 कि.मी. कुरुद रिजर्वार - 2.4 कि.मी.
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता	

	क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग - हॉ रिजर्व - जियोलॉजिकल 29,37,843 टन माईनेबल 12,16,884 टन रिकव्हेरेबल 11,56,040 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 30 वर्ष प्रस्तावित क्रशर का क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन 2023-24 में 79,889.06 टन 2024-25 में 79,755.47 टन 2025-26 में 79,978.13 टन 2026-27 में 79,800.00 टन 2027-28 में 79,906.88 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 9,350 वर्गमीटर	उत्खनित - हॉ (1,480 वर्गमीटर, 15 मीटर गहराई एवं 1,115 वर्गमीटर, 15 मीटर की गहराई तक) रेस्टोरेशन प्लान - हॉ माईनिंग प्लान में उल्लेख- हॉ
गैर माईनिंग	1. क्षेत्रफल - 1,000 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण - क्रशर 2. क्षेत्रफल - 1,120 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण - संकीर्ण क्षेत्र 3. क्षेत्रफल - 3,170 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण - संकीर्ण क्षेत्र 4. क्षेत्रफल - 2,085 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण - संकीर्ण क्षेत्र	माईनिंग प्लान में उल्लेख- हॉ
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई - 0.25 मीटर मात्रा - 6,818.75 घनमीटर ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना - 3,279 घनमीटर - 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 3,540 घनमीटर - लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 652(पार्ट), क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित।	ओवर बर्डन - 0.5 मीटर मात्रा - 13,637.50 घनमीटर ओवर बर्डन प्रबंधन योजना - आवश्यकतानुसार ओवर बर्डन का उपयोग रैम्प निर्माण, पहुंच मार्ग के रख-रखाव आदि में किया जाएगा एवं शेष ओवर बर्डन को लीज क्षेत्र के समीप स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 652(पार्ट), क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखा जाएगा।
जल आपूर्ति	मात्रा - 8 घनमीटर स्रोत - भू-जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण - 1,863 नग किया जाना है।	वर्तमान वृक्षारोपण - 450 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण -1,413 नग
श्रेणी	बी-1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 177.56 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त क्लस्टर में स्थित अन्य खदान मेसर्स महामाया मिनरल्स, रकबा 3.88 हेक्टेयर, ग्राम-धनसुली, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर द्वारा पूर्व में बेसलाइन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 दिसंबर 2021 से 15 मार्च 2022 के मध्य किया जा चुका है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई. आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 के अनुसार "The baseline data and Public Hearing shall not be more than three years old at the time of submission of application for consideration of EC." का उल्लेख है। उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम अनुसार एकत्रित बेसलाईन डाटा की वैधता 3 वर्ष हेतु होगी।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि लीज क्षेत्र में कुल 3,200 वर्गमीटर क्षेत्र 15 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसमें से प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के 2,595 वर्गमीटर, 15 मीटर की गहराई तक उत्खनित है एवं लीज क्षेत्र के उत्खनन हेतु उपलब्ध क्षेत्र में 605 वर्गमीटर क्षेत्र 15 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
4. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
  - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:—
  - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - ii. Project proponent shall submit the previous year production detail to till date from the mining department.
  - iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
  - iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
  - v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
  - vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
  - vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
  - viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
  - ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

- x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xix. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स बालपेट (डी-2) सेण्ड क्वारी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत बालपेट, ग्राम-बालपेट, तहसील व जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2681)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. - 445961 एवं 30/09/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित

क्षेत्रफल एवं क्षमता	3 हेक्टेयर एवं 18,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक-599 एवं डंकनी नदी	
बैठक का विवरण	500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री सतीश कुमार अटामी, सचिव उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बालपेट दिनांक 20/09/2022	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 14/07/2023	
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 03/05/2023	
500 मीटर	दिनांक 03/05/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 03/05/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक - सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत बालपेट दिनांक - 10/04/2023 वैधता अवधि - 1 वर्ष	जारी एल.ओ.आई. में "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2023 के तहत आवेदित भूमि में गौण खनिज साधारण रेत हेतु उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूति हेतु यह आशय पत्र (LOI) जारी किया जा रहा है" का उल्लेख है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमण्डल दंतेवाड़ा द्वारा जारी दिनांक 05/10/2023	प्रस्तावित क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर कोई अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यान/टाईगर रिजर्व स्थित नहीं है
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम-बालपेट 300 मीटर स्कूल ग्राम-बालपेट 200 मीटर अस्पताल-द.ब. दंतेवाड़ा 5.1 कि.मी.	पुल-1.01 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई- अधिकतम 131 मीटर, न्यूनतम 116 मीटर खनन स्थल की औसत लंबाई-460 मीटर खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 95 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर खदान की नदी तट के किनारे से दूरी - अधिकतम 57 मीटर, न्यूनतम 22 मीटर	नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़ी गई है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई -	स्थल पर रेत की गहराई - 2 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 1 मीटर	रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित

	खदान में माईनेबल रेत की मात्रा-30,000 घनमीटर	स्थल पर गद्दे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का ज्ञान कर एवं रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस -	ग्रिड बिन्दु - 25 मीटर X 25 मीटर लेवलस (Levels) दिनांक 29/05/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी के तट पर वृक्षारोपण - 230 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 4,75,932 रुपये
श्रेणी	बी-2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
7.92	2%	0.16	Following activities at Nearby, Village- Balpet	
			Plantation in muktidham	4.00
			<b>Total</b>	<b>4.00</b>

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण (पीपल, आम, जामुन, अर्जुन, कदंब, करंज आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 70 नग पौधों के लिए राशि 532 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 26,000 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 48,600 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,10,140 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,90,368 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बालपेट के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 285, क्षेत्रफल 4.57 हेक्टेयर में से 0.12 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त कर सी.ई.आर. कार्य हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर गद्दे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक



- गहराई का मापन कर एवं रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त कर सी.ई.आर. कार्य हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
  3. नदी तट पर किये जाने वाले 1,000 नग वृक्षारोपण हेतु भूमि खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
  4. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
  5. खदान क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
  6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
  7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं कियो जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
  8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
  9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
  10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
  11. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
  12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा।
  13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स माँ कुदरगढ़ी स्टोन क्रशर प्राईवेट लिमिटेड (डायरेक्टर—श्री दिनेश कुमार गोयल), ग्राम—विरेन्द्रनगर, तहसील—वाङ्गफनगर, जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2594)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. - 437308 एवं 21/07/2023	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.52 हेक्टेयर एवं 54,926.33 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	693	
भू-स्वामित्व	निजी भूमि श्रीमती निशा सिंह	सहमति पत्र प्राप्त
बैठक का विवरण	500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री शरद कुमार आचार्य, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत विरेन्द्रनगर दिनांक 05/10/2021	उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 30/06/2023	
500 मीटर	खनि अधिकारी, जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज द्वारा जारी पत्र दिनांक 30/05/2023 अन्य खदानों की संख्या— निरंक	आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी के संबंध में प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज के जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
200 मीटर	प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।	200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र, संरचनाएं एवं प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध में प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज के जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक - मेसर्स माँ कुदरगढ़ी स्टोन क्रशर प्राईवेट लिमिटेड	

	दिनांक - 04/05/2023	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वैधता अवधि - 1 वर्ष वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर द्वारा जारी दिनांक 31/03/2022	वन क्षेत्र से दूरी - 3 कि.मी
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी- विरेन्द्र नगर 400 मीटर स्कूल- ग्राम-गोंदला 2.6 कि.मी. अस्पताल- सुलसुली 3.6 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग- 43 कि.मी. राज्यमार्ग -4.65 कि.मी.	झरिया नाला - 2 कि.मी. मौसमी नाला- 500 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग - हॉ रिजर्व्स - जियोलॉजिकल 3,96,396 टन माईनेबल 2,89,085 टन रिकवरेबल 2,74,631 टन प्रस्तावित गहराई 6 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर से 6 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 5 वर्ष प्रस्तावित क्रशर - नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 54,926.33 टन द्वितीय 54,926.33 टन तृतीय 54,926.33 टन चतुर्थ 54,926.33 टन पंचम 54,926.33 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 5,922 वर्गमीटर	उत्खनित - नहीं
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल -900 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण - 10 मीटर दूर ग्रामीण कच्चा सड़क	माईनिंग प्लान में उल्लेख- हॉ
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई - 0.5 मीटर मात्रा - 9,189 घनमीटर	ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
जल आपूर्ति	मात्रा - 6.49 घनमीटर प्रतिदिन	जल की आपूर्ति स्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण - 900 नग किया जाना है।	लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं

		सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
श्रेणी	बी-2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 2.52 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि “पवित्र वन निर्माण” के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण एवं क्षेत्रफल सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी के संबंध में प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र, संरचनाएं एवं प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध में प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
4. जल की आपूर्ति का माध्यम/स्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत “पवित्र वन निर्माण” के लिए (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण एवं क्षेत्रफल सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
7. ऊपरी मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-3:

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की निम्न बैठकें संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन निम्नानुसार किया गया:-


बैठकों का विवरण	अनुमोदन दिनांक
485वीं एवं 486वीं बैठक क्रमशः दिनांक 12/09/2023 एवं 13/09/2023	दिनांक 30/10/2023
487वीं बैठक दिनांक 22/09/2023	दिनांक 09/11/2023
488वीं, 489वीं बैठक क्रमशः दिनांक 25/09/2023, 26/09/2023	दिनांक 12/11/2023
490वीं बैठक दिनांक 27/09/2023	दिनांक 21/11/2023
491वीं एवं 492वीं बैठक क्रमशः दिनांक 12/10/2023 एवं 13/10/2023	दिनांक 30/11/2023
493वीं एवं 494वीं बैठक क्रमशः दिनांक 26/10/2023 एवं 27/10/2023	दिनांक 01/12/2023

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।



सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति  
छत्तीसगढ़



(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति  
छत्तीसगढ़

मेसर्स भगवती स्टोन (प्रो.- श्रीमती मिकी अग्रवाल, धनसुली लाईम स्टोन क्वारी)  
को खसरा क्रमांक 543/13, 544/3, 544/1, 545/1 एवं 545/2, कुल लीज क्षेत्र 1.71  
हेक्टेयर, ग्राम-धनसुली, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर में चूना पत्थर (गौण खनिज)  
उत्खनन - 40,836 टन (16,334 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने  
वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.71 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 40,836 टन (16,334 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी

व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेंट कम सप्रेसन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।
16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।
17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को



उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु प्रस्तावित कार्य 5 वर्ष के लिए राशि 6,06,000 रुपये के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
22. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
49.69	2%	0.99	Following activities at Nearby, Village- Mura	
			Plantation around village pond	1.31
			<b>Total</b>	<b>1.31</b>

23. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
24. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु (आम, कटहल एवं जामुन) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 54 नग पौधों के लिए राशि 8,100 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 8,100 रुपये, खाद के लिए राशि 2,800 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 20,000 रुपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 4,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 43,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 88,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम


- पंचायत मुरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 281, क्षेत्रफल 1.98 हेक्टेयर में स्थित तालाब) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
25. सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
  26. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
  27. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 942 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
  28. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 342 नग पौधों का रोपण (कुल 1,284 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षों तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
  29. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
  30. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
  31. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
  32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
34. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फलाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
35. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
36. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। मार्च 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
38. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
39. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
40. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
41. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
44. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय,

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

45. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
46. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
47. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
48. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
49. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
50. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर / तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
51. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

  
अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स बंसल स्टोन (प्रो.- श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, मूरा लाईम स्टोन माईन)  
को खसरा क्रमांक 397/2, 397/4, 397/17, 639/2, 639/7, 639/11, 639/13,  
395/2 एवं 396/2, कुल लीज क्षेत्र 1.67 हेक्टेयर, ग्राम-मूरा, तहसील-तिल्दा,  
जिला-रायपुर में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन - 46,496 टन प्रतिवर्ष हेतु  
पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.67 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 46,496 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षेप एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी

व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेंट कम सप्रेसन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।
16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।
17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को

उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु प्रस्तावित कार्य 5 वर्ष के लिए राशि 5,91,000 रुपये के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
22. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
41.71	2%	0.83	Following activities at Nearby, Village- Mura	
			Plantation around village pond	1.12
			<b>Total</b>	<b>1.12</b>

23. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
24. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु (आम, कटहल एवं जामुन) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 46 नग पौधों के लिए राशि 6,900 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 6,900 रुपये, खाद के लिए राशि 2,300 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 16,900 रुपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 3,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 36,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 76,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम

- पंचायत मूरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 281, क्षेत्रफल 1.98 हेक्टेयर में स्थित तालाब) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
25. सी.ई.आर., कॉमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
  26. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
  27. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,032 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
  28. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 334 नग पौधों का रोपण (कुल 1,366 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षों तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
  29. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
  30. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
  31. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
  32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।



33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
34. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइ रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
35. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
36. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
38. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
39. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
40. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
41. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
44. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय,

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

45. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
46. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
47. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
48. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
49. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
50. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
51. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.